न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 104/15 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00247

उनवान

उदयराम पुत्र हरख्याल, जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शिवराम पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामचरन पुत्र मंगतू–मृतक

   2/1 जयसिंह
   2/2 गुलाब
   2/3 मोहनी
   } पुत्रगण स्व0 रामचरन, जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

   2/4 श्यामवती पुत्री रामचरन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई।
3. बाबू पुत्र मंगतू –मृतक

   3/1 प्रेम
   3/2 मोरध्वज
   3/3 मौहरसिंह
   } पुत्रगण स्व0 बाबू

   3/4 मछला
   3/5 लक्ष्मी
   3/6 कमला
   } पुत्रगण स्व0 बाबू

   } जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

   3/7 सुमित्रा पत्नी स्व. बाबू जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई।
4. ग्यासी पुत्र प्रभू–मृतक

   4/1 लालसिंह
   4/2 रामवीर
   } पुत्रान स्व0 ग्यासी

   4/3 श्रीमती
   4/4 कमला
   } पुत्रीयान ग्सायी

   } जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लज्जावती पुत्री प्रभू जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई।
6. बलवीर पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. कलुआ पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई।
8. भदई पुत्र परभाती–मृतक

   8/1 पप्पू
   8/2 उदल
   8/3 गुड्डू
   } पुत्रान भदई

   8/4 पिक्की
   8/5 कमला
   8/6 भूरी
   } पुत्रान भदई

   } जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

8/7 उगन्ती पत्नी स्व0 भदई

9. सोहनलाल पुत्र परभाती
10. सूखी पुत्र परभाती
11. सामन्ती बेवा परभाती –मृतक
12. केहरीसिंह पुत्र टुण्डा
13. अमरसिंह पुत्र टुण्डा
14. भगवानदेई पुत्री टुण्डा
15. हरभजन पुत्र खुटिया

जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

16. सुखचन्द पुत्र खुटिया–मृतक
    - 16/1 बनयसिंह
    - 16/2 समयसिंह
    - 16/3 महेन्द्र सिंह

    पुत्रान सुखचन्दी

    - 16/4 धर्मवती
    - 16/5 सन्ता
    - 16/6 सीमा

    पुत्रीयान सुखचन्दी

    - 16/7 किरनदेयी पत्नी स्व. सुखचन्दी

    जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
18. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनपुर तहसील नदबई।
19. सब रजिस्ट्रार नदबई जिला भरतपुर

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 45/2013 बउनवानी हरख्याल वगै. बनाम रामचरन वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2015 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पुरुषोत्तम मुदगल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित।
3. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 3/1 लगायत 3/7, 8/1 से 8/7 श्री कुलदीप सिंह उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील संख्या :– 105/15 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00343

उनवान

1. रामचरन पुत्र मंगतू – मृतक
   - 1/1 जयसिंह, 1/2 गुलाब, 1/3 मोहनी — पुत्रगण स्व0 रामचरन
   - 1/4 श्यामवती पुत्री रामचरन
2. ग्यासी पुत्र प्रभू–मृतक
   - 2/1 लालसिंह, 2/2 रामवीर — पुत्रगण ग्यासी
   - 2/3 श्रीमती, 2/4 कमला — पुत्रीयान ग्यासी

जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. शिवराम, 2. उदयराम — पुत्रगण हरख्याल, जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. बाबू पुत्र मंगतू–मृतक
   - 3/1 प्रेम पुत्र बाबू जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई
   - 3/2 मोरध्वज, 3/3 मौहरसिंह — पुत्रयान स्व0 बाबू
   - 3/4 मछला, 3/5 लक्ष्मी, 3/6 कमला — पुत्रीयान स्व0 बाबू

   जाति जाट निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   - 3/7 सुमित्रा पत्नी स्व0 बाबू जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई।
4. लज्जावती पुत्री प्रभू जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. बलवीर पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी मइ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. कलुवा पुत्र परभाती
7. भदई पुत्र परभाती – मृतक
   - 7/1 पप्पू, 7/2 उदल, 7/3 गुड्डू — पुत्रगण स्व0 भदई
   - 7/4 पिक्की, 7/5 कमला, 7/6 भूरी — पुत्रीयान स्व0 भदई
   - 7/7 उगन्ती पत्नी स्व0 भदई
8. सोहनलाल पुत्र परभाती

जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

9. सामन्ती विधवा परमाती– मृतक

10. सूखी पुत्री परमाती
11. केहरीसिंह पुत्र टुण्डा
12. अमरसिंह पुत्र टुण्डा
13. भगवानदेई पुत्र टुण्डा
14. हरभजन पुत्र सुदिया

जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

15. सुखचन्द पुत्र सुदिया – मृतक

15/1 बनयसिंह
15/2 समयसिंह
15/3 महेन्द्रसिंह
— पुत्रगण स्व0 सुखचन्दी

15/4 धर्मवती
15/5 सन्ता
15/6 सीमा
— पुत्रीयान स्व0 सुखचन्दी

15/7 किरनदेयी पत्नी स्व0 सुखचन्दी

जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
17. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनपुर तहसील नदबई।
18. सब रजिस्ट्रार नदबई जिला भरतपुर

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 45/2013 बउनवानी हरख्याल वगै. बनाम रामचरन वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2015 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित।
3. वकील रेस्पोडेन्ट 3/1 से 3/7 व 7/1 से 7/7 श्री कुलदीप सिंह उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील संख्या :– 40/26 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2026/89

उनवान

बलवीर पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादी/अपीलान्ट

बनाम

1. शिवराम पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. उदयराम पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स

3. **रामचरन पुत्र मंगतू (मृतक)**
   - 3/1 जयसिंह पुत्र रामचरन
   - 3/2 गुलाब पुत्र रामचरन
   - 3/3 मोहनी पुत्र रामचरन
   - 3/4 श्यामवती पुत्री रामचरन
4. **बाबू पुत्र मंगतू (मृतक)**
   - 4/1 सुमित्रा बेवा बाबू
   - 4/2 प्रेम पुत्र बाबू
   - 4/3 मोरध्वज पुत्र बाबू
   - 4/4 मौहर सिंह पुत्र बाबू
   - 4/5 मछला पुत्री बाबू
   - 4/5 कमला उर्फ लाड़ो पुत्री बाबू
   - 4/6 लक्ष्मी पुत्री बाबू
5. **ग्यासी पुत्र प्रभू (मृतक)**
   - 5/1 लाल सिंह पुत्र ग्यासी
   - 5/2 रामवीर पुत्र ग्यासी
   - 5/3 श्रीमती पुत्री ग्यासी
   - 5/4 कमला पुत्री ग्यासी
6. लज्जावती पुत्री प्रभू
7. कलुआ पुत्र परभाती

जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

8. **भदई पुत्र परभाती (मृतक)**
   - 8/1 उगन्ती बेवा भदई
   - 8/2 पप्पू पुत्र भदई
   - 8/3 ऊदल पुत्र भदई
   - 8/4 गुड्डू पुत्र भदई
   - 8/5 पिंकी पुत्री भदई
   - 8/6 कमला पुत्री भदई
   - 8/7 भूरी पुत्री भदई

जाति जाटव निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

9. सोहनलाल पुत्र परभाती
10. **सामन्ती बेवा परभाती (मृतक)**
11. सूरवी पुत्री परभाती
12. केहरीसिंह पुत्र टुण्डा
13. अमरसिंह पुत्र टुण्डा
14. भगवानदेई पुत्री टुण्डा
15. हरभजन पुत्र खुटिया
16. **सुखचन्दी पुत्र खुटिया (मृतक)**
    - 16/1 बनय सिंह पुत्र सुखचन्दी
    - 16/2 समय सिंह पुत्र सुखचन्दी
    - 16/3 महेन्द्र सिंह पुत्र सुखचन्दी
    - 16/4 धर्मवती पुत्र सुखचन्दी
    - 16/5 सन्ता पुत्री सुखचन्दी
    - 16/6 सीमा पुत्री सुखचन्दी
    - 16/7 किरनदेई पत्नी सुखचन्दी

    जाति जाटव निवासी ग्राम मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
18. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनपुर।
19. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई।

.....प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 45/2013 बउनवानी हरख्याल वगै. बनाम रामचरन वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2015 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित।
3. वकील रेस्पोडेन्ट 4/1 से 4/7 व 8/1 से 8/7 श्री कुलदीप सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 10.06.2026

1. अपीलांट ने अपील सं. 104/15, 105/15 एवं 40/26 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा वाद सं. 45/13 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत कीं है। चूंकि तीनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही आदेश के विरुद्ध पेश किए जाने से इन तीनों अपीलों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के पिता हरख्याद ने अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाके ग्राम मई तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नदबई में स्थित विवादित आराजी के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावे का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.1999 को निर्णय पारित करते हुए डिक्री पारित की गई। जिसके विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील सं. 54/2000 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2006 के द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई थी और यह निर्णय पारित किया गया था कि अन्तिम डिक्री के संबंध में सुनकर मौके की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट लेकर एवं खसरा नम्बर 1592 में अपीलान्ट को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा दिए जाने में कोई कठिनाई है तो उस सीमा तक विभाजन की अन्तिम डिक्री को संशोधित करते हुए अपीलान्ट को उनकी पूर्व में धारित भूमि में ही उनका हिस्सा दिए जाने पर विचार करें। न्यायालय हाजा से निर्णय दिनांक 02.02.2006 को रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2011 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील कलुआ वगैराह द्वारा प्रस्तुत की जो दिनांक 26.02.2013 को आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2011 को निरस्त करते हुए रिमाण्ड कर यह निर्देश दिए गए कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों की पूर्णतः पालना हेतु विवादित आराजी की स्पष्ट कब्जे काश्त की रिपोर्ट तलब करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय व डिक्री पारित की जावे। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 10.08.2015 को पुनः निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपील सं. 104/15 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम मुदगल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सोगरवाल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3/1 से 3/7 व 8/1 से 8/7 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, अपील सं. 105/15 में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सोगरवाल एव रेस्पोडेन्ट सं. 3/1 से 3/7 व 7/1 से 7/7 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं अपील सं. 40/26 में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सोगरवाल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4/1 से 4/7 व 8/1 से 8/7 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील सं. 104/15 की बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपील द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.2011 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि अधीनस्थ न्यायालय खसरा नम्बर 1592, 1595 के सम्बन्ध में स्पष्ट स्थिति करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस निर्देशों की पालना नहीं की गई है और समस्त आराजी को एकजाई करते हुए एक नये विभाजन की डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीये है। अपीलान्ट के कुर्रे में खसरा नम्बर 1909 में 19 एयर रकबा दिया है खसरा नम्बर 1909 से पहले खसरा नम्बर 1911 है लेकिन 1911 खसरा नम्बर में से 1909 खसरा नम्बर में जाने के लिए अपीलान्ट को कोई रास्ता नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो विभाजन की डिक्री पारित की है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी नियम) के प्रावधानों के विपरीत है जो काबिल निरस्तनीये

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

है। विवादित खसरा नम्बर 1911 में अपीलान्ट की ग्वार बुवी हुई है लेकिन यह नम्बर अन्य खातेदारान को दे दी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को 1911 के कब्जे के आधार पर बुवी हुई फसल का होने के कारण अपीलान्ट को देना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री मौका व कानून के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर डिक्री व निर्णय दिनांक 10.08.2015 अपास्त किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय किये जाने के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील सं. 105/15 की बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नदबई व नायब तहसीलदार लखनपुर की गत खसरा नम्बरान 1592 व 1595 के सम्बन्ध में दी गई मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 को ही आधार मानकर वर्तमान खसरा नम्बरान के कुर्रे बनाये जाकर अंतिम डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। पुराने खसरा नम्बरान 1592 व 1595 की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 कतई गलत है मौके की स्थिति के विपरीत है उसके संबंध में भी अपीलार्थी ने न्यायालय में आपत्तियां प्रस्तुत की है जिनका कोई विधिवत रूप से निस्तारण किये बिना खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। उत्तरवादी सं. 1 व 2 वादीगण कुर्रा नं. 1 व उत्तरवादी सं. 6 से 15 को कुर्रा नम्बर 5 को बनाकर दिये है वह कतई गलत है मौके की स्थिति के विपरीत है इन लोगों को समस्त अच्छी–अच्छी आराजी दी जा रही है। जो सड़क के सहारे है जिसे वाणिज्य प्रयोग में लिया जाना है। नये खसरा नम्बरान के जो नजरी–नक्शा बनाकर कथन किये है वह भी कतई गलत है। राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन के बने नियमों 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई है। जैसे अच्छी–अच्छी व बुरी–बुरी आराजी के कुर्रे नहीं बनाये गये हैं नक्शों में रंग भरकर हिस्से नहीं दर्शाये गये हैं। भूखण्ड की कीमत व स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है तथा वर्तमान कब्जे को भी गौर नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कतई विधि एवंत थ्य के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो कुर्रा नम्बर 2 अपीलार्थी सं. 1 व उत्तरवादी बाबू के हक में दिया है वह भी गलत है केवल खसरा नम्बर 1908/1 सड़क के पास दिया है बहुत छोटा है जबकि ख.न. 1904/1 बहुत बड़ा नम्बर सड़क के सहारे उत्तरवादी सं. 1 व 2 के कुर्रे सं. 3 में रखा गया है। इसलिए कुर्रे गलत है। उनके आधार पर पारित निर्णय व डिक्री न्यायालय तहत कतई गलत है जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो नये नम्बरान के कुर्रे बनाने हेतु खण्ड किये गये हैं वह समान नहीं है। कुर्रे बनाते समय अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई है तथा उन्हें कुर्रो के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों पर सुना नहीं गया है और ना ही आपत्तियों का विधि अनुसार निष्पादन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में न्यायालय श्रीमान द्वारा किये गये रिमाण्ड आदेश की पालना नहीं की गई और मनमाने तरीके से कुर्रे प्राप्त कर खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आदेश व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने एवं नियमों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट अपील सं. 105/15 के अन्त में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री न्यायालय तहत सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 10.08.2015 निरस्त किये जावे एवं पुनः विधिवत कुर्रे प्राप्त किये जाकर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

राजस्व ... अधिकारी
... (रा.)

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील सं. 40/26 की बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा में दो बार अपील प्रस्तुत की गई थी। सर्वप्रथम अपील निर्णय दिनांक 02.02.2006 में खसरा नम्बर 1592 के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2011 को निर्णय पारित कर दिया और फिर अपीलीय कोर्ट द्वारा दिनांक 26.02.2013 को फिर निर्देश दिए गए कि निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों की पालना करें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा दिए गए निर्देशों की कतई पालना नहीं की गई है। दुबारा से खसरा नम्बरान 1592 व 1595 की मौका रिपोर्ट जो ली गई है वह नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.12.2013 को ली गई है। यह आवश्यक प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार मौके पर स्वयं जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में उनको पूर्व में मौके पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जावे, तब मौके की रिपोर्ट ली जावे। लेकिन यहां निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार स्वयं द्वारा कोई मौके की रिपोर्ट नहीं ली गई, बल्कि नायब तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट ली गई है, जबकि दिनांक 04.10.1999 को सहायक कलक्टर नदबई द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित करते समय तहसीलदार नदबई से कुर्रा रिपोर्ट मंगवाई गई थी। लेकिन यहां अपील में अधीनस्थ न्यायालय को दो बार रिमाण्ड करने के बाद न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना न करते हुए तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट न लेकर नायब तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई व मौका रिपोर्ट लेने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य किसी पक्षकारान को कोई नोटिस नही दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.02.2014 को जरिए अधिवक्ता यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था कि नायब तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की गई है वह बिना अधिकारिता व आदेश के है। उसे निरस्त फरमाते हुए तहसीलदार नदबई को न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाने के लिए निर्देश दिए जावे। लेकिन इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान न देकर मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 नायब तहसीलदार को आधार मानकर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। खसरा नम्बर 1592 जो पुराना था जिसके नये खसरा नम्बरान 1904, 1905, 1908 कुल किता 3 रकबा 0.32 हैक्टेयर बने है। उक्त खसरा नम्बरान में अपीलान्ट सहखातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 20.12.13 खसरा नम्बर 1905 में सड़क निकल चुकी है, खसरा नम्बर 1904 व 1908 दोनों खसरा नम्बरान पुख्ता सड़क खसरा नम्बर 1905 के दावे लाये हैं। उक्त दोनों खसरा नम्बरान पर मौके पर कोई सम्पूर्ण नम्बर पर कोई पुख्ता निर्माण नहीं है, मौके पर खाली है। जबकि अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर में 1/8 हिस्से का सहखातेदार है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान में अपीलान्ट को कोई हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड नहीं दिया गया है। जबकि कानून के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी का विभाजन होना चाहिए। उक्त खसरा नम्बर में अपीलान्ट का हक बनता है क्योंकि कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 11.11.99 के मुताबिक भी अपीलान्ट को 4 बिस्वा रकबा खसरा नम्बर 1592 में से किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर डिक्री व निर्णय दिनांक 10.08.2015 निरस्त फरमाया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट की पैत्रृक आराजी थी। विवादित आराजी मुत0 ख.न. 1590, 1591, 1592 वाके ग्राम मई तहसील नदबई की आबादी से लगे हुए हैं, जिनमें ख.न. 1590 में से 1/3 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कच्चे–पक्के नौहरे व घर व कृषि कार्यो के लिए निर्माण कर रखा था। उक्त आराजी ख.न. में 1/3 हिस्से में प्रतिवादी सं. 3 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नौहरे आदि का निर्माण व 1/3 हिस्से में वादी/रेस्पोडेन्ट का नौहरा आदि बना रखा है तथा कृषि सामान रखा रहता था। आराजी मुत0 ख.न. 1591 व 1592 के 1/3 हिस्से में वादी का घर पक्का, करीब 6 फीट ऊँचा ईटों का कुछ घर बना हुआ था। प्रतिवादी सं. 1 चालाक किस्म व झगडालू प्रकृति का व्यक्ति थे जो आये दिन मौखिक मनबट से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही काश्त में अड़चन व व्यवधान पैदा करता रहता था तथा अन्य सह–खातेदारों के हिस्से में आयी आराजी का दूसरे लोगों को बयनामा कर देने की धमकी देता रहता था तथा वादी के मनबट में आराजी जिसमें वादी ने ख.न. 1591 व 1592 के 1/3 हिस्से में जो घर पक्का तथा अन्य निर्माण आदि कर रखा था, पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता रहता था। यदि प्रतिवादी अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाता तो वादी रेस्पोडेन्ट को काफी नुकसान होता। इसी कारण वादी/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा पेश किया गया था उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्रा प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करने को निर्देशित किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार नदबई एवं नायब तहसीलदार लखनपुर द्वारा विधिसम्मत रुप से राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गए जिसमें सभी सह–खातेदारों को मुताबिक मनबट हिस्सा दिया गया एवं सभी सह–खातेदारों के मध्य समान रुप से आराजी का विभाजन किया गया था। उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्तियां भी दर्ज की गई जिनका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से किया जाकर उक्त कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

9. अपीलान्ट ने यह अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही आदेश दिनांक 10.08.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील सं. 104/15 दिनांक 28.08.2015, 105/15 दिनांक 26.08.2015 एवं अपील सं. 40/26 दिनांक 27.08.2015 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद हैं।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश करने के उपरान्त उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त दिनांक 27.12.1999 को अंतिम डिक्री पारित की गयी जिसकी अपील परभाती मृतक व टुण्डा मृतक, हरभजन, सुखचन्दी व बलवीर द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.02.2006 से प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः पत्रावली दर्ज कर दिनांक 06.07.2011 को निर्णय एवं डिक्री पारित किए गए। उक्त निर्णय एवं डिक्री की एक अपील कलुआ, भदई, सोहनलाल पिसरान परभाती, केहरी, अमरसिंह पिसरान टुण्डा एवं हरभजन, सुखचन्दी पिसरान खूटिया द्वारा तथा दूसरी अपील शिवराम उर्फ शिवचरन पिसरान हरख्याल एवं बाबू पुत्र मुगतुआ द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.02.2013 को अपने निर्णय द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2006 मे दिये गए निर्देशों की पालना हेतु पुनः रिमाण्ड किया। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नदबई से प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 के आधार पर दिनांक 10.08.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जैर अपील निर्णय दिनांक 10.08.2015 में अंकित किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपील सं. 54/2000 प्रस्तुत की उसकी माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 02.02.2006 द्वारा कुछ निर्देशों के साथ न्यायालय हाजा को प्रेषित किया। न्यायालय हाजा द्वारा पुनः सुनवाई कर दिनांक 06.07.2011 को निर्णय पारित किया। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वाक्य अंकित किए गए हैं वे अस्पष्ट रुप से अंकित किए गए हैं। सही वस्तुस्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2011 की अपील न्यायालय हाजा में पुनः किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.02.2013 द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों की पालना हेतु पुनः प्रेषित किया गया था। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.02.2013 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने पर उनके द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि जिसमें तहसीलदार नदबई एवं नायब तहसीलदार लखनपुर द्वारा स्वयं मौके पर जाकर खसरा नम्बर 1592 व 1595 की दिनांक 20.12.2013 को मौका रिपोर्ट पेश की। हमने उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारों से आक्षेप सुने गये। सभी ने अपने तर्क लिखित में पेश किए जो बाद अवलोकन शामिल मिसिल किए गए।''

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों की पालना में मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित किए गए हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार एवं पटवारी हल्का मई द्वारा तैयार की गयी है जिस पर कलुआ, प्रेमसिंह एवं एक अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जबकि पक्षकार अधिक संख्या में है। इस मौका रिपोर्ट में मुख्य रुप से नायब तहसीलदार लखनपुर ने यह अंकित किया है कि ''आराजी खसरा नम्बर 1592 व 1595 वाके ग्राम मई की पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जे की मौका रिपोर्ट के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया मौके पर उक्त प्रकरण में सम्बन्धित पक्षकारान व ग्राम वासियान की उपस्थिति में उक्त खसरा नम्बर 1592 पुराना जिसका खसरा रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 1904/0.16, 1905/0.06, 1908/0.10 कुल किता 3 रकबा 0.32 हैक्टर बने हैं। मौके पर खसरा नम्बर 1904, 1905, 1908 का नजरी नक्शा बनाया गया है।

आराजी खसरा नम्बर 1908/0.10 में बाबू पुत्र मंगतू आ.हि. 1/2 व ग्यासी पुत्र प्रभू हि० 1/2 जाति जाट का कब्जा जाहिर आया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1904/0.16 में शिवराम वगै. हि. 1/3 ग्यासी पुत्र प्रभू हि. 1/3 बाबू वगै. हि. 1/3 का कब्जा जाहिर आया। खसरा नम्बर 1905 में पक्की सड़क बनी हुई है जो चालू है। खसरा नम्बर 1595 साबिक रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 1911/0.34 बना है का नजरी नक्शा निम्न प्रकार है।''

इस मौके के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.08.2015 पारित किए हैं जिसमें निर्णय पारित करते समय यह अंकित किया है कि हमने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारों के आक्षेप सुने गये। सभी ने अपने–अपने तर्क लिखित में पेश किए हैं जो बाद अवलोकन शामिल मिसिल किए गए, लेकिन पक्षकारों के आक्षेप जो लिखित में पेश किए गए थे उनके बारे में कोई विवेचन कर निष्कर्ष पारित नहीं किए गए केवल यह अंकित किया है कि मौका रिपोर्ट व सभी की आपत्तियों को सुना गया जिसके पश्चात् मौके पर कब्जा, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बुरी आराजी को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्न कुर्रे अनुसार उचित समझा गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की आपत्तियों का सकारण स्पीकिंग निस्तारण करते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया।

मुख्य रुप से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.02.2013 के निर्णय से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया था कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों की पालना की जाकर पुनः निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्ण अपने निर्णय दिनांक 02.02.2006 को इस प्रकार निर्णय पारित किया था कि "कुल मिलाकर अपीलान्ट की आपत्ति खसरा नम्बर 1592 के सम्बन्ध में इस आशय की विचारनीय है कि क्या खसरा नम्बर 1592 की समस्त भूमि पर मकानात बने हुए हैं तथा उसमें अपीलान्ट के हिस्से अनुसार उन्हें कब्जा देने में कठिनाई होगी।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उप जिला कलक्टर नदबई पक्षकारान को विभाजन की अन्तिम डिक्री के सम्बन्ध में सुनकर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेकर एवं खसरा नम्बर 1592 में अपीलान्ट को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा दिए जाने में कोई कठिनाई हो तो उस सीमा तक विभाजन की अन्तिम डिक्री को संशोधित करते हुए अपीलान्ट को उनकी पूर्व में धारित भूमि में ही उनका हिस्सा किए जाने पर विचार करें। अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाता है।"

इस प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2013 मे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों का स्पष्टीकरण नहीं होता है जिसमें यह निर्देश दिए गए है कि "प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उप जिला कलक्टर नदबई पक्षकारान को विभाजन की अन्तिम डिक्री के सम्बन्ध में सुनकर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेकर एवं खसरा नम्बर 1592 में अपीलान्ट को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा दिए जाने में कोई कठिनाई हो तो उस सीमा तक विभाजन की अन्तिम डिक्री को संशोधित करते हुए अपीलान्ट को उनकी पूर्व में धारित भूमि में ही उनका हिस्सा किए जाने पर विचार करें। अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाता है।" साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दिनांक 02.02.2006 को दिए गए निर्देशों के सम्बन्ध में जैर अपील निर्णय में कोई भी विवेचन नही किया है कि अपीलान्ट को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा दिए जाने में कोई कठिनाई हो तो उस सीमा तक विभाजन की डिक्री को संशोधित करते हुए अपीलान्ट को उनकी पूर्व में धारित भूमि में ही उनका हिस्सा दिए जाने पर दिया हो। मौका रिपोर्ट सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गयी है जबकि ऐसी मौका रिपोर्ट उभयपक्षों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में ही तैयार करनी चाहिए। साथ ही बंटवारे के दावे में कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18–21 की पालना करते हुए तैयार करने चाहिए जबकि मौका स्थिति दिनांक 20.12.2013 नायब तहसीलदार लखनपुर द्वारा बिना पक्षकारों नोटिस जारी किए कुछेक पक्षकारों की उपस्थिति में ही तैयार की गयी है। जो कतई विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दो बार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया जिनमें न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की गयी है जिससे पक्षकारों को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। अपील सं. 104/15 में अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में यह भी आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय ख.न. 1592 व 1595 के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनः निर्णय पारित करें लेकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इस निर्देश की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं की है और समस्त आराजी को एकजाई करते हुए एक नये विभाजन की डिक्री सादिर की है जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीये है। इस प्रकार प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.08.2015 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय हाजा का पारित निर्णय दिनांक 02.02.2006 में दिये गये निर्देशों की पूर्णतः पालना करते हुए उभयपक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी कर स्वयं तहसीलदार द्वारा निर्देशों के क्रम में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय व डिक्री पारित किया जावे। जिसमें प्रदत्त निर्देशों की पालना शत–प्रतिशत सुनिश्चित की जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष दिनांक 14.07.2026 को उपस्थित होवें।

12. निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

14. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर